उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग

विज्ञापन संख्या :ए–8/ई–1/2024
दिनांक :03/12/2024

स्थापत्य एवं नियोजन सहायक परीक्षा–2024

ऑनलाइन आवेदन प्रारम्भ होने की तिथिः 03/12/2024

ऑनलाइन परीक्षा शुल्क बैंक में जमा करने एवं ऑनलाइन आवेदन स्वीकार (Submit) किये जाने की अन्तिम तिथि : 03/01/2025

ऑनलाइन प्रस्तुत आवेदन में सुधार/संशोधन और शुल्क समाधान (Fee reconciliation)की अंतिम तिथि : 08/01/2025

महत्वपूर्ण

(1) (a) ऑनलाइन आवदेन करने से पूर्व अभ्यर्थियों को O.T.R. पंजीकरण (O.T.R Registration) कर O.T.R नम्बर प्राप्त करना अनिवार्य है।

(b) ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने ओ0टी0आर0 नम्बर प्राप्त नहीं किया है वे ऑनलाइन आवेदन करने के 72 घण्टे पूर्व आयोग की वेबसाइट https://otr.pariksha.nic.in से ओ0टी0आर0 नम्बर प्राप्त कर सकतें हैं।

(c) ओ0टी0आर0 नम्बर प्राप्त करने के उपरान्त ही आयोग की वेबसाइट https://uppsc.up.nic.in पर ऑनलाइन आवेदन सबमिट किया जा सकता है।

(2) अभ्यर्थियों को निर्देशित किया जाता है कि वे ऑनलाइन आवदेन करते समय सभी चरणों (यथा–O.T.R., फीस भुगतान, फाइनल सबमिशन, अर्हता से संबंधित संशोधन/त्रुटि सुधार इत्यादि) की सूचनाएं साफ्ट व हार्ड कापी के रूप में भविष्य हेतु संरक्षित करना सुनिश्चित करें।

(3) अभ्यर्थियों को स्पष्ट किया जाता है कि प्रारम्भिक परीक्षा के स्तर पर वे अपने अभिलेख एवं ऑनलाइन आवेदन संबंधी हार्ड कॉपी आयोग को प्रेषित न करें।

(4) अभ्यर्थियों को अपने ऑन–लाइन आवेदन की हार्ड–कॉपी के साथ ऑन–लाइन आवेदन में किये गये समस्त दावों के समर्थन में समस्त अंक पत्र एवं प्रमाण पत्र की स्व–प्रमाणित प्रतियां आयोग के निर्देशानुसार यथासमय संलग्न कर प्रेषित करना होगा। इस संबंध में आयोग द्वारा पृथक से प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से सूचित किया जायेगा।

विशेष सूचना :– (क) आवेदन **'Submit'** करने का सम्पूर्ण दायित्व अभ्यर्थी का होगा। बैंक में शुल्क जमा करने की अन्तिम तिथि तक शुल्क जमा करने के बाद ही आवेदन पत्र स्वीकार किया जायेगा।

(ख) अभ्यर्थियों को निर्देशित किया जाता है कि वे सूचनाओं/निर्देश हेतु आयोग की वेबसाइट का अनवरत अवलोकन करते रहेंगे। अभ्यर्थियों को **O.T.R.** के साथ रजिस्टर्ड मोबाइल नम्बर और **e-mail ID** पर भविष्य में सभी सूचनायें/निर्देश एसएमएस द्वारा अथवा **e-mail** के माध्यम से प्रेषित किये जायेंगे।

1. ऑनलाइन आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के लिये आवश्यक सूचना

यह विज्ञापन आयोग की **Website https://uppsc.up.nic.in** पर उपलब्ध है। आवेदन करने हेतु इस विज्ञापन में **'O.T.R. BASED APPLICATION' system** लागू है। अन्य किसी माध्यम से प्रेषित आवेदन स्वीकार नहीं किये जायेंगे। अतएव अभ्यर्थी ऑन–लाइन ही आवेदन करें।

ऑन–लाइन आवेदन करने के सम्बन्ध में अभ्यर्थियों से अपेक्षित है कि वे निम्नलिखित निर्देशों को भली भाँति समझ लें और तद्नुसार आवेदन करें:–

आयोग की वेबसाइट **https://uppsc.up.nic.in** पर **"ALL NOTIFICATIONS/ ADVERTISEMENTS"** अभ्यर्थी द्वारा **Click** करने पर **'ON-LINE ADVERTISEMENTS'** स्वतः प्रदर्शित होंगे, जिसमें निम्नलिखित तीन भाग हैं:–

(i) User Instructions
(ii) View Advertisement
(iii) Apply

User Instructions में अभ्यर्थियों को ऑन–लाइन फार्म भरने से सम्बन्धित दिशा–निर्देश दिये गये हैं। अभ्यर्थी इनमें से जिस विज्ञापन को देखना चाहें, उसके सामने **"View Advertisement"** को **Click** करें। ऐसा करने पर पूरे विज्ञापन के साथ ऑन–लाइन आवेदन की प्रक्रिया से सम्बन्धित **Sample Snapshots** भी प्रदर्शित होंगे।

''ऑन–लाइन आवेदन'' करने का कार्य निम्नांकित चार स्तरों पर किया जायेगा :–

प्रथम चरण – 'APPLY' Click करने पर परीक्षा के सापेक्ष **'Authenticate with O.T.R.'** प्रदर्शित होगा तथा **'Authenticate with O.T.R.'** पर Click करने के उपरान्त **'Have You Completed your O.T.R. Registration'** प्रदर्शित होगा, जिसमें अभ्यर्थी को 'Yes' अथवा 'No' पर Tick करना होगा। अभ्यर्थी यदि:–

(i) **'Yes'** पर Tick करने के पश्चात् 'Go' बटन पर Click करता है तो 'Enter your O.T.R. Number' प्रदर्शित होगा जिसमें उसे 'O.T.R. Number' भरकर 'Proceed' बटन पर Click करना होगा। 'Proceed' बटन पर Click करने के पश्चात् **'Click here to Authenticate'** प्रदर्शित होगा, जिस पर Click करके अभ्यर्थी प्राप्त O.T.P. (रजिस्टर्ड मोबाइल नं0/ई–मेल पर) अथवा O.T.R. पासवर्ड के माध्यम से **Authenticate** कर सकते हैं। **Authentication** की प्रक्रिया पूर्ण करने के पश्चात् अभ्यर्थी की समस्त व्यक्तिगत सूचनायें (जैसा कि O.T.R. में भरी गयी हैं) स्वतः प्रदर्शित होंगी। अभ्यर्थी को केवल पद के लिए अपेक्षित अनिवार्य अर्हता ही भरनी होगी।

(ii) **'No'** पर Tick करने के पश्चात् 'Go' बटन पर Click करता है तो:– (a). सर्वप्रथम आवेदक को आयोग के ओ. टी.आर. वेब पोर्टल **(https://otr.pariksha.nic.in)** से एकल अवसरीय पंजीकरण संख्या (ओ.टी.आर. नम्बर) प्राप्त करना होगा। (b). ओ.टी.आर. नम्बर प्राप्त करने के पश्चात् प्रथम चरण में वर्णित प्रक्रियानुसार अभ्यर्थी को ऑनलाइन आवेदन करना होगा।

द्वितीय चरण– प्रथम चरण की प्रक्रिया पूरी करने के पश्चात् स्क्रीन पर 'Applicant Dashboard' स्वतः प्रदर्शित होगा। अभ्यर्थी को सम्बन्धित आवेदित पद के सापेक्ष 'Application Part-2' के अन्तर्गत 'Submit Details' पर क्लिक करना होगा जिसके पश्चात् स्क्रीन पर अभ्यर्थी का आवेदन पत्र सहित स्थायी एवं पत्र व्यवहार का पता OTR से स्वतः प्रदर्शित होगा एवं साथ ही पद से सम्बन्धित अधिमानी अर्हतायें भी प्रदर्शित होंगी। अभ्यर्थी को विज्ञापित पद के लिए निर्धारित की गयी प्रत्येक अधिमानी अर्हताओं के सम्मुख कालम में Yes या No का चुनाव करना होगा।

तृतीय चरण– द्वितीय चरण की प्रक्रिया पूर्ण करने के पश्चात् 'Fee Confirmation Window' स्क्रीन पर स्वतः प्रदर्शित होगी जिसके अन्तर्गत 'Proceed for fee payment' के सम्मुख 'Yes' विकल्प पर क्लिक करने के पश्चात् 'SBI MOPS' का 'Home page' प्रदर्शित होगा जिस पर भुगतान के तीन माध्यम (Mode) प्रदर्शित होंगे:–

(I) NET BANKING (ii) CARD PAYMENTS (iii) OTHER PAYMENT MODES.

उक्त माध्यमों में से किसी एक माध्यम द्वारा निर्धारित शुल्क जमा करने के पश्चात् 'Payment Transaction Slip' प्रदर्शित होगी जिसमें शुल्क जमा करने का पूरा विवरण अंकित रहेगा, इसका प्रिन्ट **'प्रिन्टर आइकन'** पर क्लिक करके अवश्य प्राप्त कर लें। 'Payment Failed' होने की स्थिति में अभ्यर्थी 'Candidate Dashboard Login' में जाकर O.T.R. नम्बर भरने के उपरान्त O.T.P. अथवा O.T.R. Password के माध्यम से authenticate और 'Pending Payment' पर Click कर ऑनलाइन आवेदन हेतु अनिवार्य रूप से शुल्क भुगतान करें।

नोटः– निर्धारित अंतिम तिथि व समय तक अभ्यर्थी द्वारा 'ON-LINE APPLICATION' प्रक्रिया में Payment करना अनिवार्य है। अभ्यर्थी उसका प्रिन्ट आउट प्राप्त कर लें और उसे सुरक्षित रखें।

चतुर्थ चरण–तृतीय चरण की प्रक्रिया पूर्ण करने के पश्चात् स्क्रीन पर अभ्यर्थी का आवेदन पत्र स्वतः प्रदर्शित होगा जिसका प्रिन्ट अभ्यर्थी प्राप्त कर सकता है। अभ्यर्थी को ऑनलाइन आवेदन का प्रिन्ट लेकर इसे अपने पास सुरक्षित रखना होगा। किसी विसंगति की दशा में उक्त प्रिन्ट आयोग कार्यालय में अभ्यर्थी को प्रस्तुत करना होगा अन्यथा अभ्यर्थी का अनुरोध/दावा स्वीकार नहीं किया जायेगा। आवेदनोपरान्त अर्हता में कोई त्रुटि प्राप्त होने की स्थिति में अभ्यर्थी 'Home Page' के 'Candidate Dashboard Login' पर Click कर आवेदित पद की अर्हता में संशोधन करने हेतु निर्धारित अन्तिम तिथि तक केवल एक बार त्रुटि सुधार कर सकते हैं।

विशेष अनुदेश

(1) अभ्यर्थियों द्वारा ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि/संशोधन तिथि तक ही श्रेणी, उपश्रेणी, डोमिसाइल, लिंग, जन्मतिथि, ई.डब्ल्यू.एस., क्रीमीलेयर, नाम व पते का जो दावा किया जाएगा, वही मान्य होगा। अन्तिम तिथि के बाद कोई भी परिवर्तन संबंधी प्रत्यावेदन स्वीकार नही होगा। गलत सूचना प्रस्तुत करने पर अभ्यर्थन निरस्त माना जायेगा।

(2) अपूर्ण ऑन–लाइन आवेदन–पत्र निरस्त कर दिये जायेंगे और इस सम्बन्ध में कोई भी प्रत्यावेदन स्वीकार नहीं किया जायेगा।

(3) किसी भी स्तर पर परीक्षणोपरांत यदि यह तथ्य प्रकाश में आता है कि अभ्यर्थी द्वारा कोई सूचना छिपाई गई है अथवा गलत भरी गई है, तो उसका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा तथा आगामी परीक्षाओं/चयनों से उसे प्रतिवारित (डिबार) किये जाने की कार्यवाही की जायेगी।

(4) उ0प्र0 लोक सेवा आयोग के निर्णय के अनुसार किसी भी अभ्यर्थी को अपने आवेदन पत्र में गलत तथ्यों को, जिनकी प्रमाण पत्र के आधार पर पुष्टि नहीं की जा सकती है, देने पर अथवा अन्य किसी कदाचार पर आयोग की प्रश्नगत् परीक्षा तथा अन्य समस्त परीक्षाओं एवं चयनों से अधिकतम 05 वर्षों तक प्रतिवारित (डिबार) किया जा सकता है।

(5) यदि O.T.R. में उल्लिखित व्यक्तिगत सूचना से संबंधित कोई परिवर्तन किया जाना है तो उस परिवर्तन के पश्चात् Dashboard पर Synchronise (sync) करना अनिवार्य होगा, अन्यथा परिवर्तन अनुमन्य नहीं होगा। इस संबंध में त्रुटि सुधार/संशोधन हेतु कोई भी ऑनलाइन/ऑफलाइन प्रत्यावेदन स्वीकार नहीं किया जायेगा। अपूर्ण आवेदन पत्र सरसरी तौर पर निरस्त कर दिया जायेगा और इस संबंध में कोई भी पत्राचार स्वीकार नहीं किया जायेगा।

(6) जो अभ्यर्थी कालान्तर में विज्ञापन की शर्तों के अनुसार अर्ह नहीं पाये जायेंगे, उनका अभ्यर्थन/चयन निरस्त कर दिया जायेगा और परीक्षा में प्रवेश हेतु उनका कोई दावा मान्य नहीं होगा। अभ्यर्थियों के अभ्यर्थन/चयन के सम्बन्ध में आयोग का निर्णय अंतिम होगा।

(7) आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप पर न होने पर, आवेदन पत्र में जन्मतिथि का उल्लेख न करने पर, त्रुटिपूर्ण जन्मतिथि अंकित करने पर, अधिवयस्क या अल्पवयस्क होने पर, न्यूनतम शैक्षिक अर्हता धारित न करने पर, आवेदन पत्र प्राप्त किये जाने हेतु निर्धारित अंतिम तिथि के बाद आवेदन पत्र प्राप्त होने पर तथा आवेदन पत्र के घोषणा पत्र के नीचे हस्ताक्षर न करने पर आवेदन पत्र/अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा।

(8) आयोग अभ्यर्थियों को उनके आवेदन पत्र की सरसरी जांच पर औपबन्धिक प्रवेश दे सकते हैं, किन्तु बाद में किसी भी स्तर पर यह पाये जाने पर कि अभ्यर्थी अर्ह नहीं था अथवा आवेदन पत्र प्रारम्भिक स्तर पर ही स्वीकार करने योग्य नहीं था, उसका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा और यदि चयनोपरान्त संस्तुत भी कर दिया गया हो तो आयोग द्वारा संस्तुति वापस ले ली जायेगी।

(9) किसी कदाचार, किसी महत्वपूर्ण सूचना को छिपाने, अभियोजन/आपराधिक वाद लंबित होने, दोष सिद्ध होने, एक से अधिक जीवित पति या पत्नी के होने, तथ्यों को गलत प्रस्तुत करने तथा अभ्यर्थन/चयन के सम्बन्ध मे सिफारिश करने आदि कृत्यों में लिप्त पाये जाने पर अभ्यर्थन निरस्त करने तथा आयोग की प्रश्नगत परीक्षा व आगामी परीक्षाओं एवं चयनों से प्रतिवारित (Debar) करने का अधिकार आयोग को होगा।

2- आवेदन शुल्क : ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया में प्रथम एवं द्वितीय चरण की कार्यवाही पूर्ण करने के पश्चात् तृतीय चरण में दिये गये निर्देशों के अनुसार श्रेणीवार परीक्षा शुल्क जमा करें। परीक्षा हेतु श्रेणीवार निर्धारित शुल्क निम्नानुसार है :–

(I)	अनारक्षित/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग/अन्य पिछड़ा वर्ग	– परीक्षा शुल्क रू 100/- + ऑनलाइन प्रक्रिया शुल्क रु0 25/– योग = रु0 125/–
(ii)	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति	– परीक्षा शुल्क रु0 40/- + ऑनलाइन प्रक्रिया शुल्क रु0 25/– योग = रु0 65/–
(iii)	दिव्यांगजन	– परीक्षा शुल्क NIL + ऑनलाइन प्रक्रिया शुल्क रु0 25/– योग = रु0 25/–
(iv)	भूतपूर्व सैनिक	– परीक्षा शुल्क रु0 40/– + ऑनलाइन प्रक्रिया शुल्क रु0 25/– योग = रु0 65/–
(v)	स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित/महिला/कुशल खिलाड़ी	– अपनी मूल श्रेणी के अनुसार

3. उ0प्र0 लोक सेवा आयोग द्वारा प्रश्नगत् पद के लिए उपयुक्त अभ्यर्थियों का चयन करने हेतु प्रारम्भिक परीक्षा (बहुविकल्पीय प्रकारक) एवं मुख्य (लिखित) परीक्षा का आयोजन किया जायेगा। चयन मुख्य (लिखित) परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर श्रेष्ठता (Merit) के अनुसार होगा। आयोग द्वारा अभ्यर्थियों को परीक्षा की तिथि तथा केन्द्र की सूचना ई–प्रवेश पत्र के माध्यम से दी जायेगी।

4. वर्तमान में नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उ0प्र0 के अन्तर्गत स्थापत्य एवं नियोजन सहायक पद की कुल रिक्तियां 03 हैं जो कि परिस्थितियों एवं आवश्यकतानुसार घट/बढ़ सकती है।

श्रेणीवार रिक्तियों का विवरण निम्नवत् हैः–

कुल पद	अनारक्षित	अनु0 जाति	अनुसूचित जनजाति	अन्य पिछड़ा वर्ग	ई0डब्ल्यू0एस0	डी0एफ0एफ0	भू0पू0सै0	पी0एच0	महिला	उत्कृष्ट खिलाड़ी
03	03	00	00	00	00	00	00	00	00	00

● प्रश्नगत पद की अनारक्षित रिक्तियों पर चयन हेतु दिव्यांगजन की केवल एच0एच0,ओ0एल0 उपश्रेणियॉ ही चिन्हांकित है।

<u>पद की प्रकृति</u> –समूह ''ग'', अराजपत्रित

वेतनमान : पे –मैट्रिक्स लेवल –7 (ग्रेड पे–4600/–)

5. <u>आरक्षणः</u> उ0प्र0 की अनुसूचित जातियों/उ0प्र0 की अनुसूचित जनजातियों/उ0प्र0 के अन्य पिछड़े वर्गों/उ0प्र0 के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के अभ्यर्थियों के लिये आरक्षण विद्यमान शासकीय नियमों के अनुसार अनुमन्य है। इसी प्रकार क्षैतिज आरक्षण के अन्तर्गत आने वाली श्रेणियों यथा–उ0प्र0 के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित, महिला अभ्यर्थी, उत्तर प्रदेश के उत्कृष्ट खिलाड़ियों, उत्तर प्रदेश के भूतपूर्व सैनिकों और उ0प्र0 के समाज के दिव्यांग अभ्यर्थियों को भी विद्यमान शासकीय नियमों के अनुसार अनुमन्य है।

<u>नोटः–</u> (1) उ0प्र0 के समाज के दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए शासन द्वारा अधिसूचित (चिन्हित) किये गये पदों पर चयन के संबंध में जारी कार्यालय ज्ञाप सं0 5/2022/18/1/2008/47/का–2/2022 दिनांक 18 अप्रैल, 2022 के बिंदु–5 (अनारक्षित रिक्तियों पर नियुक्ति) में प्राविधान निम्नानुसार किया गया है– दिव्यांगता से ग्रस्त व्यक्तियों के लिए उपयुक्त चिन्हित किये गये पदों में दिव्यांगता से ग्रस्त व्यक्ति को किसी अनारक्षित रिक्ति पर नियुक्ति के लिये प्रतिस्पर्धा करने से मना नहीं किया जा सकता है अर्थात् दिव्यांगता से ग्रस्त व्यक्ति को किसी अनारक्षित रिक्ति पर नियुक्त किया जा सकता है बशर्ते की पद संगत श्रेणी की दिव्यांगता से ग्रस्त व्यक्तियों के लिए चिन्हित किया गया हो।

(2) शासनादेश संख्या 39 रिट/का–2/2019 दिनांक 26 जून, 2019 द्वारा शासनादेश संख्या 18/1/99/का–2/2006 दिनांक 9 जनवरी, 2007 के प्रस्तर 4 में दिये गये प्राविधान, 'यह भी स्पष्ट किया जाता है कि राज्याधीन लोक सेवाओं और पदों पर सीधी भर्ती के प्रक्रम पर महिलाओं को अनुमन्य उपरोक्त आरक्षण केवल उत्तर प्रदेश की मूल निवासी महिलाओं को ही अनुमन्य हैं' को रिट याचिका संख्या 11039/2018 विपिन कुमार मौर्या व अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य तथा सम्बद्ध 6 अन्य रिट याचिकाओं में मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा दिनांक 16.01.2019 को अधिकारातीत (ULTRA VIRES) घोषित करने संबंधी निर्णय के अनुपालन में शासनादेश दिनांक 09.01.2007 से प्रस्तर 04 को विलोपित किये जाने का निर्णय लिया गया है। उक्त निर्णय शासन द्वारा मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 16.01.2019 के विरूद्ध दायर विशेष अपील (डी) संख्या 475/2019 में मा0 न्यायालय द्वारा पारित होने वाले अंतिम निर्णय के अधीन होगा।

(3) ई.डब्ल्यू.एस. श्रेणी के अभ्यर्थियों द्वारा उनकी श्रेणी का प्रमाण–पत्र कार्मिक अनुभाग के कार्यालय–ज्ञाप सं.–1/2019/4/1/2002/का–2/19 टी.सी.– II, दिनॉक 18.02.2019 के अनुरूप आवेदन करने के वर्ष के पूर्व वर्ष का ही मान्य होगा।

(4) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों, दिव्यांगजन, उत्कृष्ट खिलाड़ी, कुशल खिलाड़ी तथा भूतपूर्व सैनिक अभ्यर्थियों को, जो उत्तर प्रदेश राज्य के मूल निवासी नहीं है, उन्हें आरक्षण/आयु में छूट का लाभ अनुमन्य नहीं है।

(5) उ0प्र0 के किसी भी आरक्षित श्रेणी में आने वाले अभ्यर्थी, यदि वे आरक्षण का लाभ चाहते हैं, तो O.T.R. के संबंधित स्तम्भ में अपनी श्रेणी/उप श्रेणी (एक या एक से अधिक, जो भी हो) अवश्य अंकित करें क्योंकि समस्त व्यक्तिगत सूचनाएँ O.T.R. से स्वतः आवेदन पत्र में प्रदर्शित होंगी।

(6) आरक्षण/आयु में छूट का लाभ चाहने वाले अभ्यर्थी संबंधित आरक्षित श्रेणी के समर्थन में इस विस्तृत विज्ञापन के परिशिष्ट–1 पर उपलब्ध निर्धारित प्रारूप पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्राप्त कर लें एवं जब उनसे अपेक्षा की जाये तब वे उसे आयोग को प्रस्तुत करें।

(7) एक से अधिक आरक्षित श्रेणी/आयु सीमा में छूट का दावा करने वाले अभ्यर्थियों को केवल एक छूट, जो अधिक लाभकारी होगी दी जायेगी।

(8) महिला अभ्यर्थियों के मामले में पिता पक्ष से निर्गत जाति प्रमाण–पत्र ही मान्य होंगे।

(9) अभ्यर्थियों द्वारा प्रारम्भिक परीक्षा में अपने आवेदन में पात्रता तथा आरक्षण का लाभ प्राप्त करने हेतु जिस श्रेणी/उप श्रेणी का दावा किया गया है उसके समर्थन में समस्त वांछित प्रमाण–पत्रों की स्वप्रमाणित प्रतियां मुख्य परीक्षा के आवेदन पत्र के साथ संलग्न किया जाना अनिवार्य है अन्यथा उनका दावा स्वीकार नहीं किया जायेगा।

6. <u>आपात कमीशन प्राप्त/अल्पकालिक कमीशन प्राप्त अधिकारियों की पात्रता शर्तें (केवल आयु मे छूट हेतु)</u>:–

आपात कमीशन प्राप्त/ अल्पकालिक कमीशन प्राप्त अधिकारी, जो सेना से अवमुक्त नही हुये हैं किन्तु जिनकी सैन्य सेवा में वृद्धि पुनर्वास के लिये की गयी है, भी इस परीक्षा के लिये शासनादेश संख्या–22/10/1976–कार्मिक–2–85, दिनांक 30 जनवरी, 1985 के अनुसार निम्नलिखित शर्तों पर आवेदन कर सकते हैंः–

(अ) ऐसे आवेदकों को थल सेना/नौ सेना/वायु सेना के सक्षम अधिकारी द्वारा जारी इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा कि उनकी सेवा में वृद्धि पुनर्वास के लिये की गयी है और उनके विरूद्ध कोई अनुशासनात्मक कार्यवाही लंबित नहीं है।

(ब) ऐसे आवेदकों को यथा समय यह लिखित अण्डरटेकिंग प्रस्तुत करनी होगी कि आवेदित पद के लिये चुन लिये जाने पर वे अपने को सैन्य सेवा से तत्काल अवमुक्त करा लेंगे। आपात/अल्पकालिक कमीशन प्राप्त अधिकारी को यह सुविधा अनुमन्य नहीं होगी, **यदि**

(क) उसे सेना में स्थाई कमीशन प्राप्त हो गया हो।

(ख) वह त्याग पत्र देकर सेना से अवमुक्त हुआ हो एवं

(ग) वह सेना से कदाचार अथवा शारीरिक अक्षमता के कारण अथवा स्वयं की प्रार्थना पत्र के आधार पर अवमुक्त हुआ हो और जिसे ग्रेच्युटी प्रदान की गयी हो।

7. <u>वैवाहिक प्रास्थिति</u> :– ऐसे विवाहित पुरूष अभ्यर्थी, जिनकी एक से अधिक जीवित पत्नी हो तथा महिला अभ्यर्थी जिन्होंने किसी ऐसे व्यक्ति से विवाह किया है जिसकी पहले से ही एक पत्नी हो, पात्र नहीं होंगे, जब तक कि महामहिम राज्यपाल ने उक्त शर्त से छूट प्रदान न कर दी हो।

8. <u>शैक्षिक अर्हतायें :– अनिवार्य अर्हतायें</u> :– सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी स्थापत्य संस्थान से स्थापत्य कला में डिप्लोमा।

या

महाराष्ट्र सरकार का स्थापत्य कला में इण्टरमीडिएट प्रमाण पत्र (त्रिवार्षिक पूर्णकालिक पाठ्यक्रम या चार वर्षीय अंशकालिक पाठ्यक्रम) के पश्चात तीन वर्ष का व्यावहारिक अनुभव

या

राज्य प्राविधिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश या किसी अन्य राज्य का स्थापत्य सहायकत्व में डिप्लोमा (तीन वर्ष का पूर्णकालिक पाठ्यक्रम) के पश्चात चार वर्ष का व्यावहारिक अनुभव।

नोटः– व्यावहारिक अनुभव के संबंध में शासन के पत्र दिनांक 04.09.2023 के अनुसार प्राविधानित व्यवस्था निम्नवत् हैः– ''काउन्सिल ऑफ आर्कीटेक्चर, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली में पंजीकृत आर्किटेक्ट (Architect) द्वारा निर्गत अनुभव प्रमाण–पत्र अथवा इन्स्टीट्यूट ऑफ टाउन प्लानर्स इण्डिया (आई.टी.पी.आई.) नई दिल्ली पंजीकृत संस्था/व्यक्ति की फर्म के अधीन स्थापत्य अथवा नियोजन में किसी अभ्यर्थी ने कार्य किया है, तो उसके द्वारा प्रदत्त व्यावहारिक अनुभव प्रमाण–पत्र को मान्य किया जा सकता है।'' साथ ही ''काउन्सिल ऑफ आर्कीटेक्चर, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली की वेबसाईट https://www.cao.gov.in पद पर पंजीकृत आर्किटेक्ट के पंजीकरण की वैधता पोर्टल की ''ऑन लाईन डाईरेक्टरी ऑफ आर्किटेक्ट सर्विस के माध्यम से जाँची जा सकती है। उक्त के अतिरिक्त किसी सरकारी/अर्द्ध सरकारी संस्था से भी नियोजन अथवा स्थापत्य के क्षेत्र में कार्य किये जाने पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रदत्त व्यावहारिक अनुभव प्रमाण–पत्र मान्य किया जा सकता है।'' ''इन्स्टीट्यूट ऑफ टाउन प्लानर्स इण्डिया, आई.टी.पी.आई., नई दिल्ली की (बेवसाइट https://www.itpi.org.in पर पंजीकृत संस्था /व्यक्ति की फर्म की उपलब्ध) सूची इस विज्ञापन के परिशिष्ट–4 में उल्लिखित है।

(ब) <u>अधिमानी अर्हतायें</u>:–

अन्य बातों के समान होने पर सीधी भर्ती के मामलों में ऐसे अभ्यर्थी को अधिमान दिया जायेगा जिसने :–

(क) प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 02 वर्ष की अवधि तक सेवा की हो,

या

(ख) राष्ट्रीय कैडेट कोर का 'बी' प्रमाण–पत्र प्राप्त किया हो।

नोटः– (i) आवेदन Submit किये जाने की अन्तिम तिथि तक समस्त अर्हताएं पूर्ण होना आवश्यक है।

(ii) ऐसे अभ्यर्थी जो पद के लिये निर्धारित अर्हकारी परीक्षा (पद की अनिवार्य अर्हता) में सम्मिलित हो रहे हैं, वे इस परीक्षा हेतु आवेदन न करें, क्योंकि वे पात्र नहीं हैं।

09. <u>आयु सीमा</u>:– (1.) अभ्यर्थियों को 01 जुलाई, 2024 को 21 वर्ष की आयु अवश्य पूरी करनी चाहिए और उन्हें 40 वर्ष से अधिक आयु का नहीं होना चाहिए अर्थात् उनका जन्म 02 जुलाई, 1984 से पूर्व तथा 01 जुलाई, 2003 के बाद का नहीं होना चाहिए।

(2) <u>अधिकतम आयु सीमा में छूटः–</u>

(क) उ0प्र0 के अनुसूचित जाति, उ0प्र0 के अनुसूचित जन जाति, उ0प्र0 के अन्य पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों, उ0प्र0 के वर्गीकृत खेलों के कुशल खिलाड़ियों, उ0प्र0 राज्य सरकार के राजकीय कर्मचारियों, उ0प्र0 बेसिक शिक्षा परिषदीय शिक्षक/शिक्षणेत्तर कर्मचारियों तथा उ0प्र0 के अनुदानित माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत् शिक्षकों/कर्मचारियों के लिए अधिकतम आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट अनुमन्य होगी अर्थात् उनका जन्म 02 जुलाई, 1979 के पूर्व का नहीं होना चाहिए।

(ख) उ0प्र0 के समाज के दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए अधिकतम आयु सीमा में 15 वर्ष की छूट अनुमन्य है अर्थात उनका जन्म 02 जुलाई 1969 के पूर्व का नहीं होना चाहिए।

(ग) उ0प्र0 के आपात कमीशन प्राप्त अधिकारियों/अल्पकालिक कमीशन प्राप्त अधिकारियों/भूतपूर्व सैनिकों के लिए अधिकतम आयु सीमा में सेना में की गयी सेवा अवधि +03 वर्ष के बराबर छूट अनुमन्य होगी।

10 <u>स्थापत्य एवं नियोजन सहायक मुख्य (लिखित) परीक्षा के संबंध में कतिपय सूचनायें</u>:– (1) प्रारम्भिक परीक्षा में सफल होने वाले अभ्यर्थी ही मुख्य (लिखित) परीक्षा में सम्मिलित किये जायेंगे जिसके लिये आयोग के निर्देशानुसार सफल अभ्यर्थियों को पुनः आवेदन करना होगा एवं अनारक्षित (सामान्य) अन्यर्थियों, उ0प्र0 के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों, उ0प्र0 के अन्य पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों तथा उ0प्र0 के बाहर के अभ्यर्थियों के लिये परीक्षा शुल्क, रु0 200/– एवं आन–लाईन प्रक्रिया शुल्क रु0 25/– योग रू0 225/– तथा उ0प्र0 के अनुसूचित जाति/उ0प्र0 के अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों हेतु परीक्षा शुल्क रु0 80/– एवं आन–लाईन प्रक्रिया शुल्क रु0 25/– योग रु0 105/– निर्धारित है। क्षैतिज आरक्षण के अन्तर्गत आने वाले उ0प्र0 के दिव्यांग अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा हेतु कोई शुल्क देय नहीं है परन्तु उन्हें आन–लाईन प्रक्रिया शुल्क रु0 25/– मात्र देना होगा। उ0प्र0 के सेना के भूतपूर्व सैनिकों हेतु परीक्षा शुल्क रु 80/– एवं ऑन– लाईन प्रक्रिया शुल्क रु0 25/– योग रु0 105/– निर्धारित है। उ0प्र0 के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित/महिला/उ0प्र0 के कुशल खिलाड़ी के अभ्यर्थी जिस मूल श्रेणी से संबंधित होंगे उन्हें उसी वर्ग/श्रेणी हेतु शुल्क जमा करना होगा। (2) स्थापत्य एवं नियोजन सहायक मुख्य (लिखित) परीक्षा हेतु अभ्यर्थियों को आवेदन एवं निर्धारित शुल्क सबमिट/ जमा करना होगा। (3) अभ्यर्थी सावधानी पूर्वक नोट कर लें कि मुख्य परीक्षा में वे उसी अनुक्रमांक पर बैठेंगे जो उन्हें प्रारम्भिक परीक्षा के लिये आवंटित किया गया है। (4) मुख्य परीक्षा हेतु तिथियॉ तथा परीक्षा केन्द्र बाद में आयोग द्वारा निर्धारित किया जायेगा, जिसकी सूचना ई–प्रवेश पत्र के माध्यम से दी जायेगी। (5) केन्द्र अथवा राज्य सरकार के अधीन कार्यरत अभ्यर्थियों को अपने सेवायोजन सम्बन्धी सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

नोटः स्थापत्य एवं नियोजन सहायक मुख्य (लिखित) परीक्षा के आवेदन पत्रों में किये जाने बाले समस्त दावों की पुष्टि में स्वप्रमाणित अंक पत्र/प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य है। यदि वे समस्त दावों की पुष्टि में स्वप्रमाणित अंक पत्र / प्रमाण पत्र संलग्न कर आवेदन करने की अन्तिम तिथि तक प्रेषित नहीं करते हैं तो उनका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा।

11. <u>अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण अनुदेशः</u>–

(1) हाईस्कूल अथवा समकक्ष उत्तीर्ण परीक्षा के प्रमाण पत्र में अंकित जन्मतिथि ही मान्य होगी। अभ्यर्थी को मुख्य परीक्षा के आवेदन पत्र के साथ हाईस्कूल अथवा समकक्ष परीक्षा का प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा। जन्मतिथि हेतु उक्त प्रमाण पत्र के अतिरिक्त अन्य कोई अभिलेख मान्य नहीं होगा तथा उक्त प्रमाण पत्र संलग्न न करने पर आवेदन पत्र निरस्त कर दिया जायेगा।

(2) समाज के दिव्यांग अभ्यर्थियों को उ0प्र0 लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों) के लिए आरक्षण (संशोधन) अधिनियम, 2021 की धारा–3 में उल्लिखित दिव्यांगता से ग्रस्त होने सम्बन्धी प्रमाण पत्र जो चिकित्साधिकारी/विशेषज्ञ द्वारा निर्गत एवं मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा प्रति हस्ताक्षरित हो, प्रस्तुत करने पर शासन द्वारा चिन्हित किए गये पदों पर दिव्यांग की उप श्रेणी के अन्तर्गत ही आरक्षण का लाभ अनुमन्य होगा।

(3) आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि तक भूतपूर्व सैनिकों को सैन्य सेवा से अवमुक्त होना आवश्यक है।

(4) परीक्षा की तिथि, समय तथा केन्द्रों आदि के सम्बन्ध में अनुक्रमांक सहित ई–प्रवेश पत्र के माध्यम से सूचना दी जायेगी। अभ्यर्थियों को आवंटित केन्द्र पर ही परीक्षा देनी होगी। परीक्षा केन्द्र परिवर्तन अनुमन्य नहीं होगा तथा इस सम्बन्ध में कोई भी प्रार्थना पत्र स्वीकार नहीं होगा।

(5) कदाशय अर्थात् परीक्षा में नकल करने, अनुशासनहीनता, दुर्व्यवहार तथा अन्य अवांछनीय कार्य करने पर अभ्यर्थी का अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा। इन अनुदेशों की अवहेलना करने पर अभ्यर्थी को इस परीक्षा तथा भविष्य में होने वाली अन्य समस्त परीक्षाओं/चयनों से प्रतिवारित किया जा सकता है। इस सम्बन्ध में आयोग का निर्णय अंतिम होगा। उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों का निवारण) अध्यादेश, 2024 दिनॉक 1 जुलाई, 2024 के प्राविधान प्रश्नगत् परीक्षा में लागू रहेंगे।

(6) आयोग से सभी पत्राचार में परीक्षा का नाम, विज्ञापन संख्या, O.T.R. No./Application ID, अभ्यर्थी का नाम, जन्मतिथि, पिता/पति का नाम तथा अनुक्रमांक (यदि दिया गया हो) का उल्लेख अवश्य होना चाहिए।

(7) नियुक्ति हेतु चयनित अभ्यर्थियों को नियमों में अपेक्षित स्वास्थ्य परीक्षण कराना होगा।

(8) प्रारम्भिक परीक्षा के आधार पर मुख्य परीक्षा में प्रवेश हेतु रिक्तियों के 15 गुना अभ्यर्थी सफल घोषित किये जायेंगे।

(9) अभ्यर्थी ओएमआर उत्तर पत्रक को भरने में केवल ब्लैक बाल प्वाइंट पेन का प्रयोग करें। पेन्सिल या किसी अन्य पेन का प्रयोग कदापि न करें।

(10) अभ्यर्थी उत्तर पत्रक (OMR Answer Sheet) पर मांगी गयी सूचना सम्बन्धित गोलों को काला करके सही–सही भरें क्योंकि अभ्यर्थियों द्वारा उत्तर पत्रक (OMR Answer Sheet) पर गोलों में भरी गयी सूचनाएँ, जो स्कैनर मशीन द्वारा पढ़ी जा सकें, ही आयोग द्वारा स्वीकार की जाएंगी। इन्हें रिक्त छोड़ना अथवा त्रुटिपूर्ण भरने की स्थिति में OMR Answer Sheet का मूल्यांकन आयोग द्वारा नहीं किया जायेगा जिसके लिये अभ्यर्थी स्वयं उत्तरदायी होगा। ओएमआर उत्तर पत्रक में भरी गयी सूचना को ह्वाइटनर, ब्लेड अथवा रबर आदि से मिटाया नहीं जाये।

(11) वस्तुनिष्ठ परीक्षाओं में मा0 आयोग के निर्णय के कम में प्रयुक्त होने वाली उत्तर पत्रक तीन प्रतियों में होगी, जिसमें प्रथम प्रति मूल प्रति–गुलाबी, द्वितीय प्रति संरक्षित प्रति–हरी तथा तीसरी प्रति अभ्यर्थी प्रति–नीली होगी। परीक्षा समाप्ति के पश्चात् OMR Answer Sheet की मूल प्रति तथा संरक्षित प्रति अंतरीक्षक जमा कर लेंगे एवं तीसरी प्रति (अभ्यर्थी

प्रति–नीली) अभ्यर्थी अपने साथ ले जायेगे।

(12) प्रारम्भिक परीक्षा के वस्तुनिष्ठ प्रकारक प्रश्नपत्रों में अभ्यर्थी द्वारा दिये गये गलत उत्तरों पर दण्ड (Negative Marking) की व्यवस्था निम्नवत लागू होगी। 1. प्रत्येक प्रश्न के लिये चार वैकल्पिक उत्तर हैं। उम्मीदवार द्वारा प्रत्येक प्रश्न के लिये दिये गये एक गलत उत्तर के लिये प्रश्न हेतु नियत किये गये अंको का 1/3 (0.33) दण्ड के रूप में काटा जायेगा। 2. यदि कोई उम्मीदवार एक से अधिक उत्तर देता है तो इसे गलत उत्तर माना जायेगा, यद्यपि दिए गए उत्तरों में से एक उत्तर सही होता है, फिर भी इस प्रश्न के लिए उपर्युक्तानुसार ही उसी तरह दण्ड दिया जाएगा। 3. यदि उम्मीदवार द्वारा कोई प्रश्न हल नहीं किया जाता है अर्थात उम्मीदवार द्वारा उत्तर नहीं दिया जाता है तो उस प्रश्न के लिये कोई दण्ड नहीं दिया जायेगा।

(13) याचिका सं0 (सी0) 165/2005 संजय सिंह बनाम उ0प्र0 लोक सेवा आयोग व अन्य में मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा दिये गये निर्णय/आदेश का अनुपालन किया जाएगा।

(14) अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति अभ्यर्थियों के लिये न्यूनतम दक्षता मानक (Minimum Efficiency Standard) 35% निर्धारित है अर्थात् इन श्रेणियों के अभ्यर्थी यदि (प्रारम्भिक/मुख्य) परीक्षा में 35% से कम अंक प्राप्त करते हैं तो वे श्रेष्ठता/चयन सूची में सम्मिलित नहीं किये जायेंगे। इसी प्रकार, अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिये न्यूनतम दक्षता मानक (Minimum Efficiency Standard) 40% निर्धारित है अर्थात ऐसे अभ्यर्थी यदि (प्रारम्भिक/मुख्य) परीक्षा में 40% से कम अंक प्राप्त करते हैं तो वे श्रेष्ठता/चयन सूची में सम्मिलित नहीं किये जायेंगे। ऐसे सभी अभ्यर्थी आयोग द्वारा निर्धारित न्यूनतम दक्षता मानक (Minimum Efficiency Standard) से कम अंक पाने पर अनर्ह माने जायेंगे।

(15) आरक्षित श्रेणियों के उम्मीदवारों/अभ्यर्थियों को अंतिम चयन में अनारक्षित श्रेणी के पदों पर तभी समायोजित किया जायेगा जब उनके द्वारा प्राराम्भिक/मुख्य परीक्षा के स्तर पर योग्यता मानक में कोई लाभ/रियायत न लिया गया हो।

(16) यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा कोई प्रमाण पत्र फर्जी अथवा कूटरचित **Submit** किया पाया गया तो उसे लोक सेवा आयोग के सभी चयनों से सदैव के लिये प्रतिवारित किया जायेगा तथा उसके विरूद्ध भारतीय न्याय संहिता की संगत धाराओं में कार्यवाही की जायेगी।

(17) जिन अभ्यर्थियों के अभ्यर्थन निरस्त कर दिये जाते हैं वे अभ्यर्थी अभ्यर्थन निरस्त होने के पश्चात् अभ्यर्थी नहीं रह जाते हैं, अतः उन अभ्यर्थियों को उनके प्राप्तांक नहीं दिये जायेंगे।

सामान्य अनुदेश

1– अंतिम नियत तिथि व समय के पश्चात् किसी भी स्तर के आवेदन पत्र किसी भी दशा में स्वीकार्य नहीं किये जायेंगे। अपेक्षित सूचनाओं से रहित तथा ऐसे आवेदन पत्र, जिन पर अभ्यर्थी के फोटो अथवा हस्ताक्षर नहीं होंगे, समय से प्राप्त होने पर भी सरसरी तौर पर निरस्त कर दिये जाएंगे।

2– सभी प्रकार से पूर्ण आवेदन जमा करने की निर्धारित अंतिम तिथि व समय तक अभ्यर्थी द्वारा 'ONLINE APPLICATION' प्रक्रिया में SUBMIT बटन को CLICK करना अनिवार्य है। अभ्यर्थी अपने द्वारा भरी गई सूचनाओं का प्रिन्ट प्राप्त कर लें और इसे सुरक्षित रखें, किसी विसंगति की दशा में अभ्यर्थी को उक्त प्रिन्ट आयोग कार्यालय को प्रस्तुत करना होगा अन्यथा अभ्यर्थी का अनुरोध स्वीकार नहीं किया जायेगा।

3– आरक्षण/आयु सीमा में छूट का लाभ चाहने वाले अभ्यर्थी सम्बन्धित आरक्षित श्रेणी के समर्थन में इस विस्तृत विज्ञापन में मुद्रित निर्धारित प्रारूप पर (परिशिष्ट–1) सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्राप्त कर लें एवं जब उनसे अपेक्षा की जाये तब वे उसे आयोग को प्रस्तुत करें। एक से अधिक आरक्षित श्रेणी/आयु सीमा में छूट का दावा करने वाले अभ्यर्थियों को केवल एक छूट, जो अधिक लाभकारी होगी, दी जायेगी। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित, दिव्यांगजन, भूतपूर्व सैनिक तथा उत्कृष्ट/कुशल खिलाड़ियों को जो उ0प्र0 राज्य के मूल निवासी नहीं हैं, उन्हें आरक्षण/आयु सीमा का लाभ अनुमन्य नहीं है। महिला अभ्यर्थियों के मामले में पिता पक्ष से निर्गत जाति प्रमाण–पत्र ही मान्य होंगे।

4– आयोग अभ्यर्थियों को उनकी पात्रता के सम्बन्ध में कोई परामर्श नहीं देते हैं, इसलिए उन्हें विज्ञापन का सावधानीपूर्वक अध्ययन करना चाहिए और तभी आवेदन करें जब संतुष्ट हो जायें कि वे विज्ञापन की शर्तों के अनुसार अर्ह हैं। पद के लिए वांछित सभी अर्हताएं आवेदन पत्र स्वीकार किये जाने की अंतिम तिथि तक अवश्य धारित करनी चाहिए।

5– स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों की श्रेणी में केवल पुत्र, पुत्री तथा पौत्र (पुत्र का पुत्र/पुत्री का पुत्र) एवं पौत्रियां (पुत्र की पुत्री/पुत्री की पुत्री, विवाहित/अविवाहित) ही आते हैं। इस श्रेणी के अभ्यर्थी आरक्षण विषयक प्रमाण–पत्र शासनादेश संख्या– 453/79–वी–1–15–1(का) 14–2015, दिनांक 07.04.2015 द्वारा निर्धारित प्रारूप पर जिलाधिकारी से प्राप्त कर प्रस्तुत करें।

6– यदि अभ्यर्थी को ऑन–लाइन आवेदन में कोई कठिनाई हो रही है तो आयोग के 'मेल बाक्स' से अपनी कठिनाई/समस्या का हल प्राप्त कर सकते हैं।

7– आरक्षण सम्बन्धी प्रमाण पत्रों का प्रारूप परिशिष्ट–1 पर, परीक्षा की योजना व पाठ्यक्रम परिशिष्ट–2 पर तथा पद सम्बन्धी संगत सेवा नियमावलियों का विवरण परिशिष्ट–3 पर उपलब्ध है।

Detailed Application Form:

At the online page there is a 'Declaration' for the candidates. Candidates are advised to go through the contents of the Declaration carefully. Candidate has the option to either agree or disagree with the contents of Declaration by clicking on 'I Agree' or 'I do not agree' buttons. In case the candidate opts to 'I do not agree', the application will be dropped and the procedure will be terminated. Acceptance of **'I Agree'** only will make possible the submission of the candidate's Online Application.

Notification Details

This section shows information relevant to Notification i.e. Notification number, selection type, directorate/ department name and post name.

Personnel Details from OTR

This section shows information about candidate personnel details i.e. OTR Number, candidate name, Father/Husband name, Gender, DOB, UP domicile, Category, Marital status, email and contact number, photo & signature, address, UP Freedom Fighter, Ex Army, service duration and your physical challenges, Skilled Player, Outstanding Player of U.P., Debarred candidate.

Education & Experience Details

It shows your educational and experience details

Declaration segment

At the page there is a 'Declaration' for the candidates. Candidates are advised to go through the contents of the Declaration carefully.

After filling all above particulars there is provision for preview your detail before final submission of application form on clicking on "Preview" button.

Preview page will display all facts/particulars that you have mentioned in O.T.R. if you are sure with filled details then click on "Submit" button to finally push data into server with successfully submission report that you can print.

[CANDIDATES ARE ADVISED TO TAKE A PRINT OF THIS PAGE BY CLICKING ON THE "Print" OPTION AVAILABLE]

For other information candidates are advised to select desired option in 'Home Page' of Commission's website **https://uppsc.up.nic.in**

IMPORTANT ANNOUNCEMENT

:- NOTIFICATIONS /ADVERTISEMENTS

- All Notification/Advertisements

:- ONLINE APPLICATION FORMS SUBMISSION

- Candidate Registration
- Fee Deposition /Reconciliation
- Submit Application Form
- Modify Submitted Application
- Candidate Dashboard (OTR Based)

:- CANDIDATE'S HELP DESK SECTION

- Double Verification mode
- View Application Status
- Download Admit Card
- Print Duplicate Registration Slip
- Print Detailed Application Form
- List of Applications Having ANY Objections
- View Answer Key

LAST DATE FOR RECEIPT OF APPLICATIONS: On-line Application process must be completed (including filling up of OTR, Part-I, Part-II and Part-III of the Form) before last date of form submission according to Advertisement, after which the web-link will be disabled.

परिशिष्ट – 1

उ0प्र0 की अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिये जाति प्रमाण–पत्र (प्रारुप–पत्र)

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी ..... सुपुत्र/सुपुत्री श्री ..... निवासी ग्राम ..... तहसील ..... नगर ..... जिला ..... उत्तर प्रदेश राज्य की ..... जाति के व्यक्ति हैं जिसे संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश, 1950 (जैसा कि समय–समय पर संशोधित हुआ)/संविधान (अनुसूचित जनजाति, उत्तर प्रदेश) आदेश, 1967 के अनुसार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता दी गई है।

श्री/श्रीमती/कुमारी ..... तथा/अथवा उनका परिवार उत्तर प्रदेश के ..... ग्राम..... तहसील ..... नगर ..... जिला ..... में सामान्यतया रहता है।

स्थान ..... हस्ताक्षर.....

दिनांक ..... पूरा नाम.....

मुहर ..... पद नाम.....

जिलाधिकारी/अतिरिक्त जिलाधिकारी/सिटी मजिस्ट्रेट/परगना मजिस्ट्रेट/तहसीलदार/ अन्य वेतन भोगी मजिस्ट्रेट, यदि कोई हो/जिला समाज कल्याण अधिकारी।

उत्तर प्रदेश के अन्य पिछड़े वर्ग के लिए जाति प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी ..... सुपुत्र/ सुपुत्री श्री..... निवासी ग्राम..... तहसील ..... नगर ..... जिला ..... उत्तर प्रदेश राज्य की ..... पिछड़ी जाति के व्यक्ति हैं। यह जाति उ0प्र0 लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1994 (यथासंशोधित) की अनुसूची–एक के अन्तर्गत मान्यता प्राप्त है।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी ..... पूर्वोक्त अधिनियम, 1994 (यथासंशोधित) की अनुसूची–दो जैसा कि उ0प्र0 लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) (संशोधन) अधिनियम, 2001 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है एवं जो उ0प्र0 लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) (संशोधन) अधिनियम, 2002 द्वारा संशोधित की गयी है, से आच्छादित नहीं है। इनके माता–पिता की निरंतर तीन वर्ष की अवधि के लिये सकल वार्षिक आय आठ लाख रुपये या इससे अधिक नहीं है तथा इनके पास धनकर अधिनियम, 1957 में यथा विहित छूट सीमा से अधिक सम्पत्ति भी नहीं है।

श्री/श्रीमती/कुमारी ..... तथा/अथवा उनका परिवार उत्तर प्रदेश के ग्राम ..... तहसील ..... नगर ..... जिला ..... में सामान्यतया रहता है।

स्थान ..... हस्ताक्षर .....

दिनांक ..... पूरा नाम .....

मुहर ..... पद कानाम .....

जिलाधिकारी/अतिरिक्त जिलाधिकारी/सिटी मजिस्ट्रेट/परगना मजिस्ट्रेट/तहसीलदार।

(प्रपत्र–I)
उत्तर प्रदेश सरकार

कार्यालय का नाम.....

आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के सदस्य द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आय एवं परिसम्पत्ति प्रमाण–पत्र

प्रमाण पत्र संख्या..... दिनांक .....

वित्तीय वर्ष .....के लिए मान्य

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी..... पुत्र/पति/पुत्री..... ग्राम/कस्बा..... पोस्ट ऑफिस ..... थाना ..... तहसील ..... जिला ..... राज्य ..... पिन कोड ..... के स्थायी निवासी हैं, जिनका फोटोग्राफ नीचे, अभिप्रमाणित है, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के सदस्य हैं, क्योंकि वित्तीय वर्ष ..... में इनके परिवार की कुल वार्षिक आय 8 लाख (आठ लाख रूपये मात्र) से कम है। इनके परिवार के स्वामित्व में निम्नलिखित में से कोई भी परिसम्पत्ति नहीं है:–

I. 5 (पॉच) एकड़ कृषि योग्य भूमि अथवा उससे ऊपर।

II. एक हजार वर्ग फीटअथवा इससे, अधिक क्षेत्रफल का फ्लैट।

III. अधिसूचित नगरपालिका के अंतर्गत 100 वर्ग गज अथवा इससे अधिक का आवासीय भूखण्ड।

IV. अधिसूचित नगरपालिका से इतर 200 वर्ग गज अथवा इससे अधिक का आवासीय भूखण्ड।

2. श्री/श्रीमती/कुमारी ..... जाति ..... के सदस्य हैं जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों के रूप में अधिसूचित नहीं हैं।

आवेदक का पासपोर्ट साईज का अभिप्रमाणित फोटोग्राफ

हस्ताक्षर .....(कार्यालय का मुहर सहित)
पूरा नाम .....
पदनाम .....
जिलाधिकारी / अतिरिक्त जिलाधिकारी / सिटी मजिस्ट्रेट / परगना मजिस्ट्रेट / तहसीलदार।

(प्रपत्र–।।)

आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लाभार्थ स्वयं घोषणा पत्र

स्वयं घोषणा पत्र

मैं ..... पुत्र / पुत्री / पत्नी ..... ग्राम / कस्बा ..... पोस्ट ऑफिस ..... थाना ..... ब्लाक ..... तहसील ..... जिला ..... राज्य ..... ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के प्रमाण पत्र हेतु आवेदन दिया है, एतद् द्वारा घोषणा करता / करती हूँ:–

1. मैं ..... जाति से सम्बन्ध रखता / रखती हूँ, जो उत्तर प्रदेश हेतु अधिसूचित अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, एवं अन्य पिछड़ा वर्ग की सूची में सूचीबद्ध नहीं है।
2. मेरे परिवार की कुल श्रोतों (वेतन, कृषि, व्यवसाय, पेशा इत्यादि) से कुल वार्षिक आय रू .... (शब्दों में) है।
3. मेरे परिवार के पास उल्लिखित आय के सिवाय अथवा इसके अतिरिक्त अन्यत्र कोई परिसम्पत्ति नहीं है।

अथवा

कई स्थानों पर स्थित परिसम्पत्तियों को जोड़ने के पश्चात भी मैं (नाम) ..... आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के दायरे में आता / आती हूँ।

4. मैं घोषणा करता / करती हूँ कि मेरे परिवार की सभी परिसम्पत्तियों को जोड़ने के पश्चात् निम्नलिखित में से किसी भी सीमा से अधिक नहीं है।

I. 5 (पॉच) एकड़ कृषि योग्य भूमि अथवा उससे ऊपर।
II. एक हजार वर्ग फीट अथवा इससे, अधिक क्षेत्रफल का फ्लैट।
III. अधिसूचित नगरपालिका के अंतर्गत 100 वर्ग गज अथवा इससे अधिक का आवासीय भूखण्ड।
IV. अधिसूचित नगरपालिका से इतर 200 वर्ग गज अथवा इससे अधिक का आवासीय भूखण्ड।

मैं प्रमाणित करता / करती हूँ कि मेरे द्वारा उपरोक्त जानकारी मेरे ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य है और मैं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण सुविधा प्राप्त करने हेतु पात्रता धारण करता / करती हूँ। यदि मेरे द्वारा दी गई जानकारी असत्य / गलत पायी जाती है तो मैं पूर्ण रूप से जानता हूँ / जानती हूँ कि इस आवेदन पत्र के आधार पर दिये गये प्रमाण पत्र के द्वारा शैक्षणिक संस्थान में लिया गया प्रवेश / लोक सेवाओं एवं पदों में प्राप्त की गई नियुक्ति निरस्त कर दी जायेगी / कर दिया जायेगा अथवा इस प्रमाण पत्र के आधार पर कोई अन्य सुविधा / लाभ प्राप्त किया गया है उससे भी वंचित किया जा सकेगा और इस सम्बन्ध में विधि एवं नियमों के अधीन मेरे विरूद्ध की जाने वाली कार्यवाही के लिए मैं उत्तरदायी रहूँगा / रहूँगी।

नोटः– जो लागू नहीं हो उसे काट दें।

स्थान :– **आवेदक / आवेदिका का हस्ताक्षर तथा पूरा नाम।**

दिनांकः–

उ0प्र0 के दिव्यांग व्यक्तियों के लिये प्रामाण–पत्र

(दिव्यांगजन प्रारूप)

Form-II

Certificate of Disability

(In cases of amputation or complete permanent paralysis of limbs or dwarfism and in case of blindness)

(Name and Address of the Medical Authority issuing the Certificate)

Recent passport size attested photograph (showing face only) of the person with disability

Certificate No. **Date:**

This is to certify that I have carefully examined Shri/Smt./Kum..... ..... son/wife/daughter of Shri.....Date of Birth (DD/MM/YY).....Age .....years, male/female..... registration No. ..... permanent resident of House No. ..... Ward/Village/Street .....Post office..... District.....State..... whose photograph is affixed above, and am satisfied that:

(A) he/she is a case of:
- locomotor disability
- dwarfism
- blindness

(Please tick as applicable)

(B) The diagnosis in his/her case is.....

(A) he/she has .....% (in figure)..... percent (in words) permanent locomotor disability/ dwarfism/blindness in relation to his/her..... (part of body) as per guidelines (.....number and date of issue of the guidelines to be specified).

2. The applicant has submitted the following document as proof of residence:-

Nature of Document	Date of Issue	Details of authority Issuing certificate

3. Signature and seal of the Medical Authority.

(Dr.....)	(Dr.....)	(Dr.....)
Member	Member	Chairperson
Medical Board	Medical Board	Medical Board
with seal	with seal	with seal

Signature/thumb impression of the person in whose favour certificate of disability is issued

Countersigned by the Chief Medical Officer (with seal)

Form-III

Certificate of Disability

(In cases of multiple disabilities)

(Name and Address of the Medical Authority/Board issuing the Certificate)

Recent passport size attested photograph (showing face only) of the person with disability

Cerficate No. **Date:**

This is to certify that we have carefully examined Shri/Smt./Kum ..... son/wife/ daughter of Shri ..... Date of birth (DD/MM/YY).....age..... years, male/ female.....Registration No..... permanent resident of House No..... Ward/Village/Street..... Post Office..... District..... State..... whose photograph is affixed above, and am satisfied that:

(A) he/she is a case of

Multiple Disability. His/her extent of permanent physical impairment/ disability has been evaluated as per guidelines (..... number and date of issue of the guidelines to be specified) for the disabilities ticked below, and is shown against the relevant disability in the table below:

S. No.	Disability	Affected part	Diagnosis	Permanent physical/Impairment mental disability (in %)
1.	Locomotor disability	@		
2.	Muscular Dystrophy			
3.	Leprosy Cured			
4.	Dwarfism			
5.	Cerebral Palsy			
6.	Acid attack Victim			
7.	Low Vision	#		
8.	Blindness	#		
9.	Deaf	£		
10.	Hard of Hearing	£		
11.	Speech and Language disability			
12.	Intellectual Disability			
13.	Specific Learning Disability			
14.	Autism Spectrum Disorder			
15.	Mental illness			
16.	Chronic Neurological Conditions			
17.	Multiple sclerosis			
18.	Parkinson's disease			
19.	Haemophilia			
20.	Thalassemia			
21.	Sickle Cell disease			

(B) In the light of the above, his/her over all permanent physical impairment as per guidlines (.....number and date of issue of the guidelines to be specified), is follows:
In figures.....percent.
In words.....percent

2. This condition is progressive/non-progressive/likely to improve/not likely to improve.

3. Reassessment of disability is:-

(i) not necessary,

or

(ii) is recommended/ after..... years..... months, and therefore this certificate shall be valid till ....
(DD) (MM) (YY)

@ -e.g. Left/right/both arms/legs
# - e.g. Single eye
£ - e.g. Left/Right/both ears

4. The applicant has submitted the following document as proof of residence:-

Nature of Document	Date of Issue	Details of authority Issuing certificate

5. Signature and seal of the Medical Authority.

Name and Seal of Member	Name and Seal of Member	Name and Seal of the Chairperson

Signature/thumb impression of the person in whose favour certificate of disability is issued

Countersigned by the Chief Medical Officer (with seal)

Form-IV
Certificate of Disability
(In cases of other than those mentioned in Forms II and III)
(Name and Address of the Medical Authority/Board issuing the Certificate)

Recent passport size attested photograph (showing face only) of the person with disability

Cerficate No. **Date:**

This is to certify that we have carefully examined

Shri/Smt./Kum..... son/wife/daughter of Shri ..... Date of birth (DD/MM/YY) .....age ..... years, male/female.....Registration No..... permanent resident of House No.....Ward/Village/Street.....Post Office..... District.....State..... whose photograph is affixed above, and am satisfied that he/she is a case of Disability.

His/her extent of percentage physical impairment/disability has been evaluated as per guidelines (.....number and date of issue of the guidelines to be specified) and is shown against the relevant disability in the table below

S. No.	Disability	Affected part of body	Diagnosis	Permanent physical/impairment/ mental disability (in %)
6.	Low Vision	#		
7.	Deaf	£		
8.	Hard of Hearing	£		
9.	Speech and Language disability			
10.	Intellectual Disability			
11.	Specific Learning Disability			
12.	Autism Spectrum Disorder			
13.	Mental illness			
14.	Chronic Neurological Conditions			
15.	Multiple sclerosis			
16.	Parkinson's disease			
17.	Haemophilia			
18.	Thalassemia			
19.	Sickle Cell disease			

(Please strike out the disabilities which are not applicable)

2. The above condition is progressive/non-progressive/liklye to improve/not likely to improve.

3. Reassessment of disability is :-

(i) not necessary.

or

(ii) is recommended/after .....years ..... months, and therefore this certificate shall be valid till (DD/MM/YY) .....

@ e.g. Left/right/both arms/legs
# e.g. Single eye/both eyes
£ e.g. Left/Right/both ears

4. Signature and seal of the Medical Authority.

Name and Seal of Member	Name and Seal of Member	Name and Seal of the Chairperson

Signature/thumb impression of the person in whose favour certificate of disability is issued

Countersigned by the Chief Medical Officer (with seal)

उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों और भूतपूर्व सैनिकों के लिये आरक्षण), अधिनियम, 1993 (यथासंशोधित) के अनुसार स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित के प्रमाण–पत्र का प्रपत्र।

प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री / श्रीमती / कुमारी ..... निवासी ..... ग्राम..... तहसील.....नगर..... जिला ..... उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों और भूतपूर्व सैनिकों के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1993 के अनुसार स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं और श्री / श्रीमती / कुमारी (आश्रित) ..... पुत्र / पुत्री / पौत्र (पुत्र का पुत्र या पुत्री का पुत्र) तथा पौत्री (पुत्र की पुत्री या पुत्री की पुत्री) (विवाहित अथवा अविवाहित) उपरांकित अधिनियम, 1993 (यथासंशोधित) के प्राविधानों के अनुसार उक्त श्री / श्रीमती (स्वतंत्रता संग्राम सेनानी) .....के आश्रित हैं।

स्थान..... हस्ताक्षर .....
दिनांक..... पूरा नाम .....
पदनाम .....
मुहर .....
जिलाधिकारी.....
सील.....

कुशल खिलाड़ियों के लिये प्रमाण–पत्र जो उ.प्र. के मूल निवासी हैं
शासनादेश संख्या–22 / 21 / 1983–कार्मिक–2 दिनांक 28 नवम्बर, 1985
प्रमाण–पत्र के फार्म – 1 से 4

प्रारूप –1

(मान्यता प्राप्त क्रीड़ा / खेल में अपने देश की ओर से अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग लेने वाले खिलाड़ी के लिये)

सम्बन्धित खेल की राष्ट्रीय फेडरेशन / राष्ट्रीय एसोसिएशन का नाम..... राज्य सरकार की सेवाओं / पदों पर नियुक्ति के लिए कुशल खिलाड़ियों के लिए प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री / श्रीमती / कुमारी ..... आत्मज / पत्नी / आत्मजा श्री ..... निवासी . ..... पूरा पता ..... ने दिनांक ..... से दिनांक ..... तक ..... (स्थान का नाम) में आयोजित..... (क्रीड़ा / खेल–कूद का नाम) की प्रतियोगिता / टूर्नामेन्ट में देश की ओर से भाग लिया।

उनके टीम के द्वारा उक्त प्रतियोगिता / टूर्नामेन्ट में ..... स्थान प्राप्त किया गया।

यह प्रमाण–पत्र राष्ट्रीय फेडरेशन / राष्ट्रीय एसोसिएशन / (यहाँ संस्था का नाम दिया जाये) ..... में उपलब्ध रिकार्ड के आधार पर दिया गया है।

स्थान ..... हस्ताक्षर .....
दिनांक ..... नाम .....
पद .....
संस्था का नाम .....
मुहर .....

नोट : यह प्रमाण–पत्र नेशनल फेडरेशन / नेशनल एसोसिएशन के सचिव द्वारा व्यक्तिगत रूप से किये गये हस्ताक्षर होने पर ही मान्य होगा।

प्रारूप – 2

(मान्यता प्राप्त क्रीड़ा / खेल में अपने प्रदेश की ओर से राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग लेने वाले खिलाड़ी के लिये)

सम्बन्धित खेल की प्रदेशीय एसोसिएशन का नाम .....राज्य सरकार की सेवाओं / पदों पर नियुक्ति के लिए कुशल खिलाड़ियों के लिए प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री / श्रीमती / कुमारी ..... आत्मज / पत्नी / आत्मजा श्री ..... निवासी (पूरा पता) .....ने दिनांक.....से दिनांक.....तक.....में (क्रीड़ा / खेल–कूद का नाम) की प्रतियोगिता (टूर्नामेन्ट स्थान का नाम).....आयोजित राष्ट्रीय..... में (क्रीड़ा / खेल–कूद का नाम) की प्रतियोगिता / टूर्नामेन्ट में प्रदेश की ओर से भाग लिया।

उनके टीम के द्वारा उक्त प्रतियोगिता / टूर्नामेन्ट में ..... स्थान प्राप्त किया गया।

यह प्रमाण–पत्र ..... (प्रदेशीय संघ का नाम) में उपलब्ध रिकार्ड के आधार पर दिया गया है।

स्थान ..... हस्ताक्षर .....
दिनांक ..... नाम .....
पद .....
संस्था का नाम .....
मुहर .....

नोट : यह प्रमाण–पत्र प्रदेशीय खेल–कूद संघ के सचिव द्वारा व्यक्तिगत रूप से किये गये हस्ताक्षर होने पर ही मान्य होगा।

प्रारूप – 3

(मान्यता प्राप्त क्रीड़ा / खेल में अपने विश्वविद्यालय की ओर से अन्तर्विश्वविद्यालय प्रतियोगिता में भाग लेने वाले खिलाड़ी के लिये)

विश्वविद्यालय का नाम ..... राज्य स्तर की सेवाओं / पदों पर नियुक्ति के लिए कुशल खिलाड़ियों के लिए प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री / श्रीमती / कुमारी ..... आत्मज / पत्नी / आत्मजा श्री ..... निवास (पूरा नाम) ..... विश्वविद्यालय की कक्षा ..... के विद्यार्थी ने दिनांक ..... से दिनांक ..... तक ..... (स्थान का नाम) में आयोजित अन्तर्विश्वविद्यालय ..... (क्रीड़ा / खेल–कूद का नाम) प्रतियोगिता / टूर्नामेन्ट में ..... विश्वविद्यालय की ओर से भाग लिया। उनके टीम के द्वारा उक्त प्रतियोगिता / टूर्नामेन्ट में ..... स्थान प्राप्त किया गया। यह प्रमाण–पत्र डीन ऑफ स्पोर्ट्स अथवा इंचार्ज खेल कूद .....विश्वविद्यालय में उपलब्ध रिकार्ड के आधार पर दिया गया है।

स्थान ..... हस्ताक्षर .....
दिनांक ..... नाम .....
पद .....
संस्था का नाम .....
मुहर .....

नोट : यह प्रमाण–पत्र विश्वविद्यालय के डीन ऑफ स्पोर्ट्स या इंचार्ज खेल–कूद द्वारा व्यक्तिगत रूप से किये गये हस्ताक्षर होने पर ही मान्य होगा।

प्रारूप – 4

(मान्यता प्राप्त क्रीड़ा / खेल में अपने स्कूल की ओर से राष्ट्रीय खेल–कूद में भाग लेने वाले खिलाड़ी के लिये)

डाइरेक्ट्रेट ऑफ पब्लिक इन्सट्रक्शन्स / निदेशक, शिक्षा, उत्तर प्रदेश ..... राज्य स्तर की सेवाओं / पदों पर नियुक्ति के लिए कुशल खिलाड़ियों के लिए **प्रमाण–पत्र**

प्रमाणित किया जाता है कि श्री / श्रीमती / कुमारी ..... आत्मज / पत्नी / आत्मजा श्री .... निवासी (पूरा पता) ..... में ..... स्कूल में कक्षा ..... के विद्यार्थी ने दिनांक .... से दिनांक ..... तक .....(स्थान का नाम) में आयोजित स्कूलों के नेशनल गेम्स की ..... (क्रीड़ा / खेल–कूद का नाम) प्रतियोगिता / टूर्नामेन्ट में ..... स्कूल की ओर से भाग लिया। उनके टीम के द्वारा उक्त प्रतियोगिता / टूर्नामेन्ट में ..... स्थान प्राप्त किया गया।

यह प्रमाण–पत्र डाइरेक्ट्रेट ऑफ पब्लिक इन्सट्रक्शन्स / शिक्षा में उपलब्ध रिकार्ड के आधार पर दिया गया है।

स्थान ..... हस्ताक्षर .....
दिनांक ..... नाम .....
पद .....
संस्था का नाम .....

मुहर .....

नोट : यह प्रमाण–पत्र निदेशक/या अतिरिक्त/संयुक्त या उपनिदेशक डाइरेक्ट्रेट ऑफ पब्लिक इन्सट्रक्शन्स/शिक्षा ..... द्वारा व्यक्तिगत रूप से हस्ताक्षर होने पर मान्य होगा।

परिशिष्ट –2
परीक्षा योजना एवं पाठ्यक्रम
Syllabus for Pre. Exam
General Studies/Architecture
सामान्य अध्ययन / स्थापत्य कला (आर्कीटेक्चर)

परीक्षा योजना

प्रारम्भिक परीक्षा

1– प्रश्न–पत्र – एक

2– प्रश्नों की संख्या – 150 (स्थापत्य कला (आर्कीटेक्चर) के 100 प्रश्न तथा सामान्य अध्ययन के 50 प्रश्न)

3– कुल अंक – 300 (प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का होगा)

4– समयावधि – 02 घण्टे

पाठ्यक्रम (प्रारम्भिक परीक्षा हेतु)
खण्ड –क
सामान्य अध्ययन

1– सामान्य विज्ञान
2– भारत का इतिहास
3– भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन
4– भारतीय राजतंत्र, अर्थव्यवस्था एवं संस्कृति
5– भारतीय कृषि, वाणिज्य एवं व्यापार
6– विश्व भूगोल तथा भारत का भूगोल एवं प्राकृतिक संसाधन
7– अधुनातन राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय महत्वपूर्ण घटना क्रम
8– सामान्य बौद्धिक एवं तार्किक क्षमता
9– उत्तर प्रदेश की शिक्षा, संस्कृति, कृषि, उद्योग, व्यापार एवं रहन–सहन और सामाजिक प्रथाओं के सम्बन्ध में विशिष्ट जानकारी
10– प्रारम्भिक गणित आठवीं स्तर तक अंकगणित, बीजगणित, रेखागणित
11– परिस्थितिकी तथा पर्यावरण

खण्ड–ख
Architecture
स्थापत्य कला (आर्कीटेक्चर) प्रश्न–पत्र

नोटः– प्रारम्भिक परीक्षा हेतु स्थापत्य कला (आर्कीटेक्चर) के 100 प्रश्नों का पाठ्यक्रम मुख्य परीक्षा के द्वितीय प्रश्नपत्र के पाठ्यक्रम के समान होगा।

पाठ्यक्रम मुख्य (लिखित) परीक्षा
Syllabus Main Exam.(Written Exam.)
(1) सामान्य हिन्दी एवं निबन्ध (परम्परागत)
(प्रथम प्रश्नपत्र)

परीक्षा योजना

मुख्य परीक्षा :

1– प्रश्न–पत्र – दो

(I) सामान्य हिन्दी एवं निबन्ध

1– समयावधि – 02 घण्टा

2–पूर्णांक – 100 अंक

(प्रथम खण्ड हेतु 50 अंक तथा द्वितीय खण्ड हेतु 50 अंक का होगा)

(II) स्थापत्य कला (आर्कीटेक्चर)

1–समयावधि – 03 घण्टे

2–पूर्णांक – 200

प्रथम खण्ड सामान्य हिन्दी निर्धारित अंक–50

1– अपठित गद्यांश का संक्षेपण, उससे सम्बन्धित प्रश्न, रेखांकित अंशों की व्याख्या एवं उसका उपयुक्त शीर्षक।

2–अनेकार्थी शब्द, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, तत्सम एवं तद्भव, क्षेत्रीय, विदेशी (शब्द भण्डार), वर्तनी, अर्थबोध, शब्द–रूप, सन्धि, समास, क्रियायें, हिन्दी वर्णमाला, विराम चिन्ह, शब्द रचना, वाक्य रचना, अर्थ, मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ, उत्तर प्रदेश की मुख्य बोलियाँ तथा हिन्दी भाषा के प्रयोग में होने वाली अशुद्धियां।

द्वितीय खण्ड हिन्दी निबन्ध निर्धारित अंक–50

इसके अन्तर्गत एक खण्ड होगा। इस खण्ड में से एक निबन्ध लिखना होगा। इस निबन्ध की अधिकतम विस्तार सीमा 500 शब्द होगी। निबन्ध हेतु निम्नवत् क्षेत्र होंगेः–

1– साहित्य, संस्कृति
2– राष्ट्रीय विकास योजनायें / क्रियान्वयन
3– राष्ट्रीय –अन्तर्राष्ट्रीय, सामयिक सामाजिक समस्यायें / निदान
4– विज्ञान तथा पर्यावरण
5– प्राकृतिक आपदायें एवं उनके निवारण
6– कृषि, उद्योग एवं व्यापार।

(2) Architecture
स्थापत्य कला (आर्कीटेक्चर)
(द्वितीय प्रश्नपत्र)

इकाई	पाठ्यक्रम	वेटेज
	निर्मित पर्यावरण में वास्तुविदों की भूमिका, वास्तुकला अधिनियम, वास्तुकला परिषद् एवं इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ आर्किटेक्ट्स का परिचय, स्पेस तथा वास्तुकला के मूल तत्वों की समझ, परिकल्पना के सामान्य सिद्धांतों एवं परिकल्पना तथा मानवमिति (Anthropometry) के मूल तत्वों की समझ, आकर एवं संरचना की अवधारणा पर विशेष ध्यान देते हुए भारतीय वास्तुकला की प्रारंभिक अवधि जिसमें बौद्ध, हिन्दू तथा जैन काल खंड सम्मलित हों, का अध्यन, अन्य देशों / सभ्यताओं जैसे प्राचीन मिश्र, पश्चमी एशिया, यूनानी, रोमन, प्राम्भिक ईसाई युग, बीजान्टिन तथा पुनर्जागरण काल में वास्तुकला के विकास का अध्यन, सुप्रसिद्ध वास्तुविदों जैसे फ्रैंक लॉएड राइट, वॉल्टेर ग्रोपियस, ली–कोर्बुजिए, मिज वंडर रोहे, उत्तम चंद जैन, चार्ल्स कोरिआ, बी. वी. दोषी, ए. पी. कान्विन्दे आदि के कार्य एवं तत्व ज्ञान।	25%
2	आधुनिक नगर नियोजन गतिविधि की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, नगर नियोजन के अभिप्राय, महत्व एवं सिद्धांत, भारत में पुरातन नगर नियोजन, प्राचीन भारतीय नगरों के अभिन्यास–मोहनजोदड़ो एवं हरप्पा, तक्षिला व नालंदा, नगर नियोजन, नियोजन प्रक्रिया, स्थल चयन, स्थल नियोजन के मूलभूत सिद्धांतों का भौतिक परिस्थिति के सापेक्ष परिचय, मास्टर प्लान, जोनल प्लान, लैंड, यूज प्लान, चंडीगढ़ एवं जयपुर का प्रकरण अध्ययन, नगरीय सड़कों के प्रकार एवं लेआउट, सतही व उपसतही जल निकासी, सामुदायिक सेवाएं, मलिन बस्तियां व उनका उद्धार, लैंडस्केप नियोजन तथा नेबर्हूड पार्कों का विकास इंस्टिट्यूट ऑफ टाउन प्लानर्स, इंडिया (आई टी पी आई) तथा राज्य नगर एवं ग्राम नियोजन संस्थाओं का परिचय ।	25%
3	वास्तुकला एवं नगर नियोजन में सर्वेक्षणों (सर्वे) की भूमिका, विभिन्न प्रकार के सर्वेक्षणों यथा चेन सर्वे, कम्पास सर्वे, प्लेन टेबल सर्वे, थिअडलिट सर्वे आदि का विस्तृत अध्यन व्यवस्थित व अव्यवस्थित आकृतियों का क्षेत्रफल आंकलन, मध्यमान ऑर्डिनेट विधि, टरपेजोलडाल नियम, सिम्पसन नियम, प्लैनीमीटर से क्षेत्रफल आंकलन, लेवेल्लिंग के सिद्धांत, लेवल पुस्तक में पठन का अंकन, 'लाइन ऑफ कलिमेशन 'विधि' से रिडूस लेवल (RL) का आंकलन, 'राइज एवं फॉल' विधि, कर्वचर एवं रिफ्रेक्शन, रेसिप्रोकल लेवेल्लिंग, डम्पी लेवल के अस्थायी व स्थाई समायोजन, कॉन्टूर्स व उनके प्रयोग, कंटूर इंटरवल, कॉन्टूर्स के अभिलक्षण कॉन्टूरिंग के तरीके ।	15%
4	जलवायु – भौगोलिक एवं भौतिक कारक, तापमान, वर्षा, पवन, सूक्ष्म एवं वृहत जलवायु, मौसम, सौर्य चित्रपट, जलवायु डेटा का प्रयोग, भवन परिकल्पना हेतु जलवायु कारक, धूप सुरक्षा यन्त्र पर्यावरण का परिचय, परिस्थितिकी एवं पारिस्थितिकी तंत्र, पर्यावरण के मूल तत्व यथा पृथ्वी, जल, वायु, स्थान एवं ऊर्जा, पर्यावरणीय प्रदूषण यथा वायु एवं जल, ठोस अपशिष्ट, ध्वनि एवं रेडियोधर्मी प्रदूषणः प्रदूषण के विभिन्न आयाम, जल एवं वायु प्रदूषकों के मनुष्यों, पशुओं, पेड़ पौधों एवं सामग्री पर प्रभाव, जल प्रदूषण एवं नियंत्रण प्रकिया में नमूने चुनने एवं निगरानी हेतु उपकरण । आपदा प्रबंधन का परिचय, आपदाओं के प्रकार–प्राकृतिक व मानव निर्मित, आपदा अल्पीकरण एवं बचाव, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन ढांचे के मुख्य प्राविधान एवं प्रकार्य।	20%
5	जलापूर्ति के श्रोत, घरेलू जल की अशुद्धियाँ, घरेलू जलापूर्ति, जल नलिका प्रणाली, जल शोधन की विभिन्न पद्धतिया, जल परीक्षण, विभिन्न गतिविधियों हेतु जल का औसत सेवन, आतंरिक एवं बाहरी जल निकासी, भवन की सफाई व्यवस्था एवं अपशिष्ट सामग्री के निस्तारण के सामान्य सिद्धांत, भवनों की नलकारी, भवनों के शौचालयों में नलकारी की विभिन्न पद्धतिया, समुदाय से निकलने वाले अपशिस्ट के विभिन्न प्रकार, घरेलू एवं औद्योगिक अपशिस्ट के सामन्य लक्षण तथा पर्यावरण पर उनका प्रभाव, भूमि तथा जल में अपशिस्ट निस्तारण की पद्धतिया, विलयन विधि से निस्तारण के मानदंड।	15%

परीक्षा योजना – उक्त पाठ्यक्रम के आधार पर वैकल्पिक विषयों (परम्परागत प्रश्नपत्र) की रचना हेतु प्रश्नपत्रों के स्वरूप एवं अंकों का विभाजन निम्नवत् हैः–

1– प्रश्नों की कुल संख्या 8 होगी। प्रश्न पत्र खण्ड–'अ' एवं खण्ड–'ब' दो भागों में विभाजित होगा । प्रश्न संख्या–1 एवं 5 अनिवार्य होगें तथा प्रत्येक खण्ड से दो प्रश्न करना अनिवार्य होगा। सभी प्रश्नों के अंक समान होगें तथा कुल 05 प्रश्नों के उत्तर देने होगें।

1–समय – **03 घण्टा**

2–परम्परागत प्रश्नों की संख्या – **खण्ड–'अ'** में 04 प्रश्न
खण्ड 'ब' में 04 प्रश्न

3– पूर्णांक – **200**

परिशिष्ट – 3
पद की संगत सेवानियमावलियाँ

1– उत्तर प्रदेश नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग अधीनस्थ सेवा नियमावली, 1994 (यथा संशोधित)

परिशिष्ट – 4

Institute of town planners, India 4-A, Ring Road, I.P.Estate, New Delhi -110002
Bachelor's / Master's in Planning Courses Recognized by ITPI (As on 08.07.2023)

Sr. No.	Name of the State	Sr. No.	Name of the Institute/ University/	Name of the College/Department	Name of the Course/s Approved by ITPI	Year of Recognition
1.	Andhra Pradesh	1	School of Planning and Architecture, Vijayawada	School of Planning and Architecture, Vijayawada	1. Master's of Urban and Regional Planning 2. Master's of Environmental Planning and Management 3. Bachelor's of Planning 4. Master's of Planning (Transport Planning)	2016 2016 2013 2018
2.	Assam	2	Assam Science and Technology University, Guwahati	Guwahati College of Architecture and Planning	Master's of Planning (Urban and Regional Planning)	2018
3.	Bihar	3	National Institute of Technology, Patna	Department of Architecture and Planning Patna	Master's of Urban and Regional Planning	2022 UNDERTAKING RECEIVED (COURSE STARTED FROM 2012-14)
4.	Chhattisgarh	4	Chhattisgarh Swami Vivekanand Technical University, Bhilai	Department of Urban Planning, Bhilai	Master's of Planning (Urban Planning)	2022 UNDERTAKING RECEIVED (COURSE STARTED FROM 2019)
5.	Delhi	5	Institute of Town Planners, India (ITPI)	ITPI, New Delhi	Associateship Examination	1952
		6	School of Planning and Architecture, New Delhi	School of Planning and Architecture, New Delhi	1. P. G. Diploma in Town and Country Planning with specialization in Housing and Community Planning, Urban and Regional Planning, Traffic and Transportation Planning. 2. Master's Degree in (Urban Regional Planning), (Housing and Community Planning) and (Traffic and Transportation Planning). 3. Master's of Planning (Housing) 4. Master's of Planning (Transport Planning) 5. Master's of Planning (Urban Planning) 6. Master's of Planning (Regional Planning) 7. Master's of Planning (Environmental Planning) Bachelor's of Planning	1954 till 1980 1981 to 1984 1985-86 1985-86 1987-88 1987-88 1990-91 1989-90
		7	Indira Gandhi Delhi Technical University for Women, Kashmere Gate, Delhi	Department of Architecture and Planning, Delhi	M. Plan. (Urban Planning)	2022 UNDERTAKING RECEIVED (COURSE STARTED FROM 2019)
		8	Guru Gobind Singh Indraprastha University, Dwarka, Delhi	University School of Architecture and Planning, Dwarka, Delhi	Master's of Planning (Urban and Regional Planning)	2022
6.	Gujarat	9	Centre for Environmental Planning and Technology University (CEPT), Ahmedabad	Faculty of Planning and Public Policy, Ahmedabad	1. P.G. Diploma in Planning (Environment) Now Master's in Environmental Planning 2. P.G. Diploma in Planning (Urban and Regional Planning)–Now Master's in Urban & Regional Planning 3. P.G. Diploma in Housing (Now Master's of Housing) 4. Master's of Urban Transport Planning and Management - 5. Master's of Planning (Infrastructure Planning) – 6. Master's of Planning (Industrial Area Planning and Management – IAPM) 7. Master's of Rural Planning and Management (RPM) **Bachelor's of Planning** Present nomenclature 1. Master's of Planning (Urban Planning) 2. Master's of Planning (Housing) 3. Master's of Planning (Infrastructure) 4. Master's of Planning (Transport Systems)	1972 1972 1989 2010 2010 2012 2012 2014 Since 2018 Since 2018 Since 2018 Since 2018
		10	Sardar Vallabhbhai National Institute of Technology, Surat	Civil Engineering Department, Post Graduate Section (Urban Planning, Surat	Master's of Town & Regional Planning Now M. Tech (Urban Planning)	2005

		11	Sardar Patel University, Vallabh Vidyanagar	School of Planning, Bhaikaka Centre for Human Settlement, Arvindbhai Patel Institute of Environmental Design Vallabh Vidyanagar	Master's of Urban Planning Master's of Planning (Urban and Regional Planning)	2005 2015
		12	The Maharaja Sayajirao University of Baroda, Vadodara	Department of Architecture, Faculty of Technology and Engineering, Vadodra	Master's of Urban and Regional Planning	2015
		13	Nirma University, Ahmedabad	Institute of Architecture and Planning, Ahmedabad	Bachelor's of Planning (B. Planning)	2017
		14	Sourashtra University, Rajkot	Indubhai Parekh School of Architecture and Planning Rajkot	Master's in Urban and Regional Planning	2020 UNDERTAKING RECEIVED (COURSE STARTED FROM 2016-2017)
		15	Parul University, Vadodara, Gujarat	Faculty of Architecture and Planning, Vadodara	Master's of Planning (Urban and Regional Planning)	2022 UNDERTAKING RECEIVED (COURSE STARTED FROM 2016-17 for M. Plan.)
		16	L. J. University, Ahmedabad	L. J. School of Planning Ahmedabad	Master's of Planning (Urban and Regional Planning)	2022
		17	CVM University	Shantaben Manubhai Patel School of Studies and Research in Architecture and Interior Design (SMAID) Faculty of Architecture & Planning, Vallabh Vidyanagar.	Bachelor's of Planning Master's of Urban and Regional Planning	2022 (COURSE STARTED FROM 2021) 2022 (COURSE STARTED FROM 2021)
		18	Institute of Design, Planning and Technology, Sarvajanik University, Surat	Sarvajanik College of Engineering and Technology, Surat	Master's of Planning (Urban and Regional)	2023 (COURSE STARTED FROM 2021)
7.	Haryana	19	Deenbandhu Chhotu Ram University of Science and Technology (DCRUST), Murthal, Sonipat	Gateway College of Architecture, Design and Planning, Sonipat	Master's of Planning (Urban and Regional Planning)	2022
		20	Deenbandhu Chhotu Ram University of Science and Technology, Murthal, Sonipat	Department of Architecture, Sonipat	Master's of Urban and Rural Planning now Master's of Planning (Urban & Regional Planning)	2010 to June, 2018 July, 2018
		21	Deenbandhu Chhotu Ram University of Science and Technology, Murthal, Sonipat	Hindu College of Design, Architecture and Planning (HICDAP), Sonipat	Master's of Urban and Rural Planning (MURP) now Master's of Urban and Regional Planning (MURP)	2019 2021
		22	Amity University, Gurugram	Amity School of Architecture and Planning Manesar, Gurugram	Master's of Planning (Urban and Regional) Bachelor's of Planning	2020 UNDERTAKING RECEIVED (COURSE STARTED FROM 2011) 2020 UNDERTAKING RECEIVED (COURSE STARTED FROM 2011)
		23	Sushant University, Gurugram	Sushant School of Planning & Development Gurugram	Master's of Planning (Urban Planning) Integrated M. Planning B. Planning	2020 UNDERTAKING RECEIVED (COURSE STARTED FROM 2019) 2022 2022 UNDERTAKING RECEIVED (COURSE STARTED FROM (2014)
		24	Om Sterling Global University, Hisar	School of Architecture and Planning, Hissar	Master's of Planning (Urban Planning) Bachelor's of Planning	2022 UNDERTAKING RECEIVED (COURSE STARTED FROM 2019) 2022 UNDERTAKING RECEIVED (COURSE STARTED FROM 2019)
		25	Lingaya's Vidyapeeth (Deemed to be University), Old Faridabad	School of Architecture and Planning, Faridabad	Master's in Planning (Urban Planning)	2022 UNDERTAKING RECEIVED (COURSE STARTED FROM 2020)
8.	Jharkhand	26	Birla Institute of Technology, Ranchi	Department of Architecture and Planning, Ranchi	Master's in Urban Planning	2007
9.	Karnataka	27	Visvesvaraya Technological University (VTU), Belagavi, Bengaluru	NITTE School of Architecture, Planning and Design, Bengaluru	Bachelor's in Planning	2022 UNDERTAKING RECEIVED (COURSE STARTED FROM 2017)
		28	University of Mysore	Institute of Development Studies, School of Design, Now School of Planning and Architecture, Mysuru	1. Master's in Regional Planning 2. Master's of Urban and Regional Planning (MURP) M. Tech. (Urban and Regional Planning)	1972 to 78 1979 to 2006 2006 onwards
10.	Kerala	29	University of Kerala now affiliated to A.P.J. Abdul Kalam Technological University Thiruvananthapuram	Department of Architecture and Planning, College of Engineering, Thiruvananthapuram	Master's of Housing M. Planning (Housing)	1989 to 1998 1999 onwards
		30	National Institute of Technology, Calicut, Kerala	Department of Architecture and Planning, Calicut, Kerala	Master's in Planning (Urban Planning)	2017

11.	Maharashtra	31	Savitribai Phule Pune University (Formerly Pune University)	Town Planning Section, Civil Engineering Department, College of Engineering, Pune, [Earlier Government College of Engineering, Pune (1911 to 2003), Pune Institute of Engineering and Technology (2003 to 2006) now College of Engineering, Pune (2006 onwards)],	1. M. E. Civil (T&CP) 2. M. Tech Civil (T&CP) 3. Now M. Plan. (Town and Country Planning) 4. B. Tech (Planning) Now B. Plan.	1966 to 2003 2004 to June, 2018 July,2018 onwards 2016
		32	Visvesvaraya National Institute of Technology, (VNIT), Nagpur	Department of Architecture and Planning Nagpur	M. Tech. (Urban Planning)	1985-86
		33	MIT-ADT University, Railway station, MIT ADT Campus, Rajbaugh, Solapur - Pune Hwy, near Bharat Petrol Pump, Loni Kalbhor, Maharashtra 412201	Department of Planning, MIT School of Architecture,	Master of Planning (Urban & Regional Planning)	2022
12.	Madhya Pradesh	34	Maulana Azad National Institute of Technology (MANIT) Bhopal	Department of Architecture and Planning	1. Masters of Urban Development & Planning Now Master's in Planning (Urban Planning) 2. Masters of Planning (Housing) 3. Bachelors of Planning (B. Plan.)	1992 - 2016 2016 2009 2019 UNDERTAKING RECEIVED (B. PLAN. COURSE STARTED FROM 2007)
		35	School of Planning and Architecture, Bhopal	School of Planning and Architecture, Bhopal	1. Masters of Planning (Urban and Regional Planning) 2. Masters of Planning (Environmental Planning) 3. Bachelors of Planning 4. Masters of Planning (Transport Planning and Logistics Management)	2012 2016 2016 2022 UNDERTAKING RECEIVED (COURSE STARTED FROM 2018)
		36	Amity University, Gwalior	Amity School of Architecture and Planning, Gwalior	M. Planning (Urban and Regional)	2022 UNDERTAKING RECEIVED (COURSE STARTED FROM 2019)
		37	Shri Vaishnav Institute of Architecture, Shri Vaishnav Vidyapeeth Vishwavidyalaya, Indore	Department of Planning, Indore	M. Plan. (Urban Planning)	2022
13.	Punjab	38	Guru Nanak Dev University, Amritsar	Guru Ramdas School of Planning, Amritsar	1. Master's of Planning (Urban) 2. M. Tech. (Urban Planning) 3. Master's of Planning (Infrastructure) 4. B. Tech. (Urban and Regional Planning) now Bachelor's of Planning (Urban and Regional Planning) 5. Masters of Planning (Transport)	1972 1996 2010 1991 2019
		39	Lovely Professional University, Phagwara	Lovely School of Architecture, Planning and Design, Phagwara	M. Plan. (Urban Planning) Bachelors of Planning (B. Planning)	2016 2016
14.	Rajasthan	40	Malviya National Institute of Technology (MNIT), Jaipur	Department of Architecture and Planning, Jaipur	Masters of Planning (Urban Planning)	2012
		41	Vivekananda Global University (VGU), Jagatpura, Jaipur	Faculty of Architecture and Planning, Jaipur	Masters of Planning (Urban and Rural)	2023
15.	Tamil Nadu	42	Anna University, Chennai	School of Architecture & Planning, Chennai	Masters of Town & Country Planning Masters of Planning	1964 – 2003 2004 onwards
16.		43	Hindustan Institute of Technology and Science, Chennai (Deemed to be University)	School of Planning, Architecture and Design Excellence, Chennai	Masters of Planning	2022 UNDERTAKING RECEIVED (COURSE STARTED FROM 2017)
17.	Telangana	44	Jawaharlal Nehru Technological University, Hyderabad Now Jawaharlal Nehru Architecture and Fine Arts Univ. (JNAFAU) Hyderabad	Department of Urban and Regional Planning, School of Planning & Architecture, Hyderabad	Masters of Urban & Regional Planning M. Tech. (Planning) Bachelors of Planning B. Tech. (Planning)	1992 Since 2009 onwards 2000 Since 2011 onwards
18.	Uttar Pradesh	45	Amity University, NOIDA	Amity School of Architecture and Planning, Noida	B. Planning	2022 UNDERTAKING RECEIVED (COURSE STARTED FROM 2011-12)
		46	Dr. A.P.J. Abdul Kalam Technical University, Lucknow	Sunder Deep College of Architecture and Planning, Sunder Deep Group of Institution, Hapur	Master's in Urban and Regional Planning	2022
		47	Babu Banarasi Das University, Lucknow	School of Architecture and Planning Lucknow	Master's in Urban and Regional Planning, NOW Masters of Planning Urban Planning)	2012-2022 2022 UNDERTAKING RECEIVED (COURSE STARTED FROM 2012)
		48	Dr. APJ Abdul Kalam Technical University (AKTU), Lucknow	Faculty of Architecture and Planning Lucknow	Master's in Urban and Regional Planning	2022 UNDERTAKING RECEIVED (COURSE STARTED FROM 2019)
19.	Uttarakhand	49	I.I.T. Roorkee, Uttarakhand	Department of Architecture and Planning, Roorkee	Masters of Urban & Rural Planning (MURP)	1973
		50	DIT University, Dehradun	School of Architecture, Planning and Design, Dehradun	Masters of Urban and Regional Planning	2023
20.	West Bengal	51	Indian Institute of Technology (IIT), Kharagpur, West Bengal	Department of Architecture and Regional Planning, Kharagpur	Masters of Regional Planning Masters of City Planning	1965 till 1992 1956 onwards
		52	Calcutta University, Now Indian Institute of Engineering Science and Technology, (IIEST), Shibpur, West Bengal	Department of Architecture, Town and Regional Planning, Bengal Engineering College, Shibpur- Kolkata	Masters of Town & Regional Planning, Now Master of Planning	1984-85 2019

सचिव